R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड V ◆ अंक 10

अप्रैल 2009

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

बेजमानती अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदण्ड

बैंक के तुलन-पत्र की अनुसूची 9 में बेजमानती अग्रिमों की परदर्शिता को बढ़ाने और सही स्थिति दर्शाने के लिए बैंकों को यह सूचित किया गया है कि -

(क) प्रकाशित तुलन-पत्र की अनुसूची 9 में दर्शाने के लिए बेजमानती अग्रिमों की राशि को निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (मूलभूत सुविधाओं के लिए परियोजनाओं सहित) के संबंध में संपार्श्विक के रूप में बैंकों को भारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरणों इत्यादि को मूर्त जमानत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

(ख) बैंकों को ऐसे अग्रिम की कुल राशि को भी दर्शाना चाहिए जिसके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण इत्यादि पर भार सृजित करने जैसी अमूर्त जमानत ली गई हो तथा ऐसे अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी प्रकट करना चाहिए। इस प्रकटीकरण को लेखे पर टिप्पणियाँ नामक अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकट की जानी चाहिए। इससे ऐसे ऋणों को अन्य सभी बेजमानती ऋणों से अलग दिखाया जा सकता है।

उक्त अनुदेश वित्तीय वर्ष 2009-10 से लागू होंगे।

बैंकों को 10 वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की गारंटी जारी करने की अनुमति दी गयी

बैंकिंग उद्योग में बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए जहाँ बैंक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10 वर्ष से अधिक अवधि के दीर्घावधिक ऋण प्रदान करते है रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अब 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटियाँ जारी करने की अनुमति दी है। तथापि, बैंकों को सूचित किया गया है कि ऐसी गारंटी जारी करते समय वे अपने आस्ति देयता प्रबंध पर अत्यंत दीर्घ अवधि वाली गारंटियों के पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखें। इसके अलावा, बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से 10 वर्ष से अधिक अवधि की गारंटी जारी करने पर उपयुक्त नीति बना सकते हैं।

बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं

बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्विकृत चलनिधि सहायता) को रिज़र्व बैंक से उपलब्ध स्थायी चलनिधि सुविधाएं 21 अप्रैल 2009 से संशोधित रिपो दर अर्थात् 4.75 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी।

वास्तविक समय सकल निपटान लेनदेन

वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) लेनदेनों के सुरक्षा पहलुओं पर अपने पूर्व अनुदेशों को दोहराते हुए रिज़र्व बैंक ने आरटीजीएस में भाग ले रहे सभी बैंकों को सूचित किया है कि-

- जोरदार आंतरिक नियंत्रण के साथ एक मजबूत सुरक्षा वातावरण तैयार किया जाए।
- आँकडा प्रविष्टि तैयार करने और जाँच करनेवाली (मेकर-चेकर) सुविधा तैयार की जाए।
- आरटीजीएस ढाँचे में निहित दो टियर सुरक्षा प्रणाली में कोई कमी से बचने के लिए पर्याप्त जाँच और संतुलन रखा जाएं।
- किसी भी प्रकार की त्रुटी के लिए स्टाफ की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।
- आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से किए जाने वाले सभी लेनदेनों पर डिजिटल हस्ताक्षर और इनक्रिप्ट होना चाहिए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी त्रुटि के कारण होनेवाली धोखाधड़ी/धोखाधड़ी के प्रयास पर रिज़र्व बैंक सख्त कार्रवाई करेगी और आरटीजीएस (सदस्यता) विनियमावली 2004 की धारा 14 में निर्धारित किए गए अनुसार आरटीजीएस की सदस्यता निरस्त अथवा निलंबित की जाएगी। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का 51) की धारा 30 के अंतर्गत दण्ड भी लगा सकता है।

साथ ही, आरटीजीएस में भाग ले रहे बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि -

(क) आरटीजीएस ऋण प्राप्त करनेवाले बैंक ग्राहक को उनके खाते के विवरण/पास बुक में विप्रेषण करनेवाले का नाम भी उपलब्ध कराना चाहिए।

(ख) आरटीजीएस विप्रेषण भेजने वाले बैंक ग्राहक को उनके खाते के विवरण/पास बुक में लाभार्थी का नाम भी उपलब्ध कराना चाहिए।

बैंक यदि आवश्यक/उपयोगी समझें तो वे कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
बेजमानती अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदण्ड	1
बैंकों को 10 वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि की गारंटी जारी करने की अनुमति दी गयी	1
बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं	1
वास्तविक समय सकल निपटान लेनदेन	1
फेमा	
बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति-पट्टे परिचालित करने के लिए गारंटी जारी करना	2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
सांविधिक चलनिधि अनुपात/अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का वैधीकरण	2
ग्राहक सेवा	
बैंक शाखाओं/एटीएम को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधायुक्त बनाना	2
नामांकन नियमावली	2
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
चलनिधि बाध्यताओं के समाधान के लिए ढाँचा	2
मज़बूत विनियमन को बढ़ाने और पारदर्शिता को मज़बूत करने पर जी-20 कार्यदल की सिफारिशें	3
वार्षिक नीति वक्तव्य - 2009-10	4

फेमा

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति-पट्टे परिचालित करने के लिए गारंटी जारी करना

प्राथमिक व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे एयरक्राफ्ट/एयरक्राफ्ट इंजीन/हेलीकॉप्टर के आयात के संबंध में पट्टा परिचालित करने के लिए समुद्रपारीय पट्टेदारों के पक्ष में कंपनी गारंटी जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की दृष्टि से अनापत्ति सूचित करें।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत कंपनी गारंटी जारी करने के लिए भारतीय आयातक को अनापत्ति निम्नलिखित के बाद सूचित किया जाए -

(i) ऐसी गारंटियाँ जारी करनेवाली कंपनी से कंपनी की ओर से ऐसी गारंटियाँ निष्पादित करनेवाले प्राधिकृत अधिकारी के नाम का उल्लेख करते हुए कंपनी से ऐसी कंपनी गारंटी जारी करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद; और

(ii) यह सुनिश्चित किए जाने के बाद कि ऐसी कंपनी गारंटी की अवधि पट्टा अवधि के शर्तों के अनुरूप है।

प्राथमिक व्यापारी श्रेणी -I बैंक अनिवार्य रूप से यह उल्लेख करें कि अनापत्ति फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत केवल विदेशी मुद्रा दृष्टिकोण से ही जारी की गई है तथा इसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार अथवा किसी अन्य कानूनों/विनियमावलियों द्वारा कोई अनुमोदन नहीं माना जाए। यदि किसी अन्य विनियामक/सांविधिक प्राधिकारी अथवा सरकार से संगत कानूनों/विनियमावलियों के अंतर्गत आगे अनुमोदन अथवा अनुमति अपेक्षित है तो आवेदक लेनदेन शुरू करने के पहले संबंधित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त अनापत्ति को किसी अनियमितता, उल्लंघन अथवा अन्य कमियों, यदि कुछ हैं को फेमा अथवा किसी अन्य कानून या विनियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित करने अथवा विधिमान्य करने के रूप में नहीं माना जाए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

सांविधिक चलनिधि अनुपात/अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का वैधीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों में उनके निवेश के संबंध में वित्तीय वर्ष 2007-08 तक बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करने के मानदण्डों से छूट दी गई थी। उसे एक और वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2008-09 तक बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे प्रतिभूतियों की शेष अवधि के दौरान बही मूल्य आधार पर मूल्य निर्धारण और प्रिमियम के परिशोधन यदि कुछ है के साथ वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए परिपक्वता के लिए धारित के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात के अपने समस्त निवेश पोर्टफोलियों को वर्गीकृत करें।

ग्राहक सेवा

बैंक शाखाओं/एटीएम को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधायुक्त बनाना

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे सभी विद्यमान स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम)/भविष्य की स्वचालित मशीनों को रैम्प सुविधा उपलब्ध कराए ताकि विकलांग व्हील चेयर उपयोगकर्ता/व्यक्ति उन तक आसानी से पहुँच सकें। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि एटीएम मशीन की ऊँचाई इस प्रकार रखी जाए ताकि उस तक व्हील चेयर उपयोग करनेवाले व्यक्ति आसानी से पहुँच सकें। बैंक कृपया अपनी शाखाओं के प्रवेशद्वार पर रैम्प उपलब्ध कराने का समुचित उपाय करें ताकि विकलांग/व्हीलचेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति शाखाओं में प्रवेश कर सकें और बिना किसी कठिनाई से अपना कारोबार संचालित कर सके।

इसके अतिरिक्त बैंक यह सुनिश्चित करें कि शुरू किए गए नए एटीएम मशीनों में से कम-से-कम एक तिहाई में ब्रेल की-पैड के साथ बोलनेवाले सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं। एटीएम अन्य बैंकों के परामर्श से इस प्रकार रखे जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम-से-कम ऐसे एटीएम में से एक एटीएम सामान्य रूप से प्रत्येक मोहल्लें में दृष्टहीन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध रहे। बोलनेवाले सॉफ्टवेयर और ब्रेल की-पैड के साथ ऐसे एटीएम के स्थानों से दृष्टिहीन ग्राहकों को अवगत कराया जाए।

नामांकन नियमावली

रिज़र्व बैंक ने राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी)/(डीसीसीबी) को सूचित किया है कि वे बैंक्कारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों को यथा लागू) तथा सहकारी बैंक (नामांकन) नियमावली 1985 के प्रावधानों का कढ़ाई से पालन करें जिसके अंतर्गत बैंकों को नामांकन करने, नामांकन को रद्द करने तथा/अथवा उसमें परिवर्तन करने के विधिवत भरे गए संबंधित फार्म जमा किए जाने की सूचना जमाकर्ता/लॉकर किराए पर लेने वाले को लिखित रूप में देना आवश्यक है। इस प्रकार की प्राप्ति सूचना सभी ग्राहकों को दी जानी चाहिए, भले ही ग्राहकों ने इसकी माँग की हो या नहीं।

जब कोई बैंक खाताधारक इस सुविधा का लाभ उठाता है तो उसे पास बुक में दर्शाया जाना चाहिए ताकि खाताधारक के निधन पर पास बुक से उसके रिश्तेदारों को यह पता चल सके कि दिवंगत जमाकर्ता द्वारा नामांकन सुविधा का लाभ उठाया गया था और वे उचित कार्रवाई कर सकें। तदनुसार बैंक पास बुक के मख्य पृष्ठ पर नामांकन पंजीकृत लिखकर नामांकन सुविधा का लाभ उठाने संबंधी स्थिति को दर्ज करने की प्रथा आरंभ करें। यह व्यवस्था मीयादी जमा रसीदों के मामले में भी की जाए।

इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि यदि ग्राहक ऐसा करने के लिए सहमत हो तो वे पास बुक/खाता विवरण/मीयादी जमा रसीदों में नामिती का नाम भी दर्शाएं। ऐसा करना ग्राहकों/नामितियों के लिए उपयोगी होगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

चलनिधि बाध्यताओं के समाधान के लिए ढाँचा

भारत सरकार ने जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआर) के अस्थायी चलनिधि असंतुलनों को पूरा करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (आइडीबीआइ एसएएसएफ) न्यास जिसे इस परिचालन को शुरू करने के लिए विशेष प्रयोजन सुविधा के रूप में अधिसूचित किया गया है, के माध्यम से चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक व्यवस्था की घोषणा की है।

यह सुविधा वर्तमान में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 31 मार्च 2009 तक जारी किए गए किसी पेपर के लिए उपलब्ध है। अब यह निर्णय किया गया है कि यह सुविधा 30 जून 2009 तक जारी किए गए किसी भी पेपर के लिए प्रदान की जाए। विशेष प्रयोजन सुविधा (एसपीवी) 30 सितंबर 2009 के बाद कोई नई खरीद नहीं करेगी और 31 दिसंबर 2009 तक सभी बकायों की वसूली करेगी। अन्य सभी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी प्लैटिनम जयंती वर्ष में प्रवेश किया

1 अप्रैल 1934 को स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक वर्ष 2009-2010 को अपनी प्लैटिनम जयंती वर्ष के रू प में मना रहा है। डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अवसर पर एक विशेष लोगो भी जारी किया। यह लोगो राष्ट्रीय झंडे के रंगों का उपयोग करते हुए यह संकेत देता है कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ रिज़र्व बैंक की सुदृढ़ सहबद्धता है। इस लोगो में करेंसी नोट से लिया गया महात्मा गाँधी का चित्र भी है जो रिज़र्व बैंक और आम आदमी के बीच का संबंध है। संक्षेप में यह लोगो रिज़र्व बैंक की अधिक दायित्वपूर्ण, प्रासंगिक, व्यावसायिक और प्रभावी सार्वजनिक नीति संस्था बने रहने की जारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस लोगो का उपयोग इस प्लेटिनम जयंती वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी पत्राचार में किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी प्लैटिनम जयंती के महत्व के लिए शीघ्र ही एक विस्तृत योजना की घोषणा करेगा।

मज़बूत विनियमन को बढ़ाने और पारदर्शिता को मज़बूत करने पर जी-20 कार्यदल की सिफारिशें

जी-20 के नेताओं ने जारी कार्य की समीक्षा करते हुए तथा यह सिफारिश करते हुए कार्यदल के लिए कार्यों का निर्धारण किया था जो अंतर्राष्ट्रीय विनियामक मानकों को सुदृढ़ करेगा, वैश्विक वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वित्तीय बाजार, उत्पाद और सहभागी अपनी परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए समुचित रू प से नियंत्रित हैं अथवा निगरानी के अधीन हैं।

कार्यदल ने 25 मार्च 2009 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में शामिल सिफारिशें वर्तमान संकट के कारणों के प्रति एक कार्रवाई हैं तथा भविष्य में उन्हें पुनः नहीं होने से रोकने का अभिप्राय रखती हैं। वे इस मान्यता के अनुरू प हैं कि प्रत्येक देश में प्रभावी वैश्विक मानकों पर आधारित मजबूत विनियमन भविष्य की वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस दल की सिफारिशें तथा भारत के लिए संगत मदों की स्थिति आगे प्रस्तुत की गई है।

सिफारिश 1

अपने मूल अधिदेश के अनुपूरक के रूप में सभी राष्ट्रीय वित्तीय नियामकों, केंद्रीय बैंकों और निगरानी प्राधिकरणों एवं सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकायों और मानक निर्धारकों (आईएएसबी, बीसीबीएस, आईएआईएस और आईओएससीओ) के अधिदेशों को वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को ध्यान में रखना चाहिये।

- पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय स्थिरता रिज़र्व बैंक की नीति का एक प्रमुख उद्देश्य बनकर सामने आयी है। तदनुसार, हाल के वर्षों में वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिये कई उपाय किये गये हैं। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएसए) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार एक वित्तीय स्थिरता इकाई की स्थापना की जा रही है।

सिफारिश 2

प्रत्येक देश में, वित्तीय प्रणाली के प्रणालीगत जोखिमों का संयुक्त रूप से अनुमान लगाने और प्रणालीगत जोखिम निर्माण को सीमित करने के लिए घरेलू नीतिगत उपायों का समन्वय करने के लिये घरेलू वित्तीय क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी हेतु एक प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिये। इस समन्वय व्यवस्था का ढांचा पारदर्शी होना चाहिये जिसमें प्रत्येक प्राधिकारी की भूमिका, उत्तरदायित्वों और जवाबदेही का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

- भारत में, वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफएम) वित्तीय क्षेत्र के नियामको, नामतः भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकार, और भविष्य निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय व्यवस्था उपलब्ध कराती है। अन्य तकनीकी समतियां और उप समतियां इसकी सहायता करती हैं जो विभिन्न नियामकों के तहत प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करती हैं जिनका क्षेत्र-व्यापी प्रभाव पड़ता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियमित संस्थाओं, सेबी द्वारा नियमित संस्थाओं और बीमा विनियामक विकास प्राधिकार (आइआरडीए) द्वारा नियमित संस्थाओं के लिये अलग-अलग तकनीकी समितियां हैं। ये समितियां पूंजी बाजार की गतिविधियों की समीक्षा करती हैं जो एक पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आधारित होता है ताकि किसी ऐसी असामयिक घटना की पहचान की जा सके जिसके लिए समन्वित कार्यप्रणाली अपेक्षित हो। अंतर-विनियामक एजेसियों के समन्वय के जरिए एक्सचेंज में विपणनीय मौद्रिक वायदा व्यापारों और ब्याज दर वायदा व्यापारों, वित्तीय संघ निगरानी ढांचा, आपदा प्रबंधन समूह और कारपोरेट बांड एवं प्रतिभूतिकरण सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

सिफारिश 3

वित्तीय क्षेत्र के प्राधिकारियों के पास उचित व्यापक-विवेकपूर्ण उपाय होने चाहिए ताकि वे प्रणालीगत संवेदनशीलताओं को दूर कर सकें।

- बैंकिंग प्रणाली के जोखिमों को दूर करने के लिए रिज़र्व बैंक विभिन्न व्यापक-विवेकपूर्ण उपायों का प्रयोग करता रहा है। उदाहरणार्थ - 2004-07 के विस्तारवादी चरण के दौरान रिज़र्व बैंक ने ऋण की अनियंत्रित वृद्धि रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए। इसमें मानकीकृत अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण बढ़ाना और कुछ निश्चित श्रेणी की आस्तियों के संबंध में जोखिम भार में वृद्धि करना शामिल है। तथापि, इसके पश्चात नवंबर 2008 से प्रारंभ हुई ऋणों की धीमी वृद्धि के चरण के दौरान उन विपरीत उपायों को बदल दिया गया। रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निर्धारण निकायों द्वारा विकसित या अनुशांसित किसी भी प्रकार के उपायों पर विचार करने और उन्हें परिष्कृत करने और अन्य व्यापक विवेकपूर्ण उपायों का प्रयोग करने के संबंध में अपने प्रयास जारी रखेगा।

सिफारिश 4

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित वित्तीय स्थिरता फोरम को प्रत्येक देश में प्रमुख वित्तीय प्राधिकरणों के लिए एक प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए ताकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली के तहत प्रणालीगत जोखिमों का संयुक्त रूप से अनुमान लगाने और नीतिगत उपायों का समन्वयन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जा सके।

- जी-20 ने वित्तीय स्थिरता फोरम को वित्तीय स्थिरता बोर्ड के रूप में पुनर्गठित किया है और अन्य बातों के साथ-साथ भारत सहित सभी जी-20 सदस्य देशों को इसमें शामिल करने हेतु इसकी सदस्य संख्या बढायी गयी है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के नवोन्मेषी उपायों एवं कार्यों में रिज़र्व बैंक, भारत सरकार और सेबी सक्रिय एवं प्रभावी रूप से अंशदान करने के लिए प्रयासरत हैं।

सिफारिश 5

सभी प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों, बाजारों और उपायों का एक सीमा तक विनियमन और पर्यवेक्षण होना चाहिए जो सतत रूप में लागू किया जा सके और वह उनकी स्थानीय और वैश्विक प्रणालीगत महत्ता के अनुकूल भी हो। संभाव्य जोखिम के प्रकार और मात्रा के आधार पर गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों, बाजारों और लिखतों के लिए भी उदाहरणार्थ, बाजारों के एकीकरण और प्रभावशीलता हेतु किसी प्रकार की पंजीकरण अपेक्षा या निगरानी होनी चाहिए।

राष्ट्रीय प्राधिकारियों के पास आवधिक रूप में विनियमन की परिधि को विस्तार प्रदान करने का अधिकारयह मानते हुए होना चाहिए, कि इसमें देश और परिस्थितियों के अनुसार अंतर हो सकता है।

- भारतीय वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग, बैंकों का नियमन रिज़र्व बैंक द्वारा काफी गंभीरता से किया जाता है। हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - (जमा राशियां स्वीकार न करने वाली - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण) के लिए भी विस्तृत विवेकपूर्ण विनियमन लागू किए हैं। रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी करता है, मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूति बाजार का विनियमन करता है।
- ऐसी संस्थाएं जो विवेकाधिकार से विनियमित नहीं होती हैं लेकिन व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, के विनियमन की परिधि में विस्तार से संबंधित मामलों पर एचएलसीसीएफएम में विचार-विमर्श किया जा सकता है।

(अगले अंक में जारी)

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

वार्षिक नीति वक्तव्य - 2009-10

डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर ने प्रमुख बैंकों के प्रधानों के साथ हुई बैठक में वर्ष 2009-10 के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक नीति की घोषणा की। मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैः

संभावनाएं

- जीडीपी वृद्धि 6.0 प्रतिशत के आसपास रखी गई है।
- थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है।
- 2009-10 के लिए मुद्रा आपूर्ति (एम3) वृद्धि 17.0 प्रतिशत आंकी गई है।
- वाणिज्य बैंकों की सकल जमाराशियों में 18.0 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
- समायोजित खाद्येतर ऋण-जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों/ डिबेंचरों/शेयरों में तथा निजी कारपोरेट क्षेत्र और सीपी में किया गया निवेश भी सम्मिलित है - की वृद्धि 20.0 प्रतिशत आंकी गई है।

चुनौतियां

- अर्थव्यवस्था के सामने आ रही तत्कालीन चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं - (क) अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि की पटरी पर लौटाने में सक्षम बनाने के लिए सकल मांग के कारकों का समर्थन करना; (ख) अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रवाह की गति तेज करना; (ग) 2009-10 के लिए बृहद सरकारी कार्यक्रमों का प्रबंधन बाधारहित तरीके से करना; (घ) राजकोषीय समेकन प्रक्रिया की बहाली करना; (ङ) अर्थव्यवस्था की उत्पादकीय आवश्यकताओं की सहायता के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2008 से प्रणाली में उपलब्ध कराई गई भारी-भरकम चलनिधि को संयत विधि से निकालना को सुनिश्चित करना; (च) वैश्विक संकट से सीख लेते हुए अपनी वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व को संरक्षित रखने की निरंतर चुनौती।

रुझान

इस समग्र मूल्यांकन के आधार पर 2009-10 में मौद्रिक नीति का रुझान मोटे तौर पर इस प्रकार रहेगा:-

- एक ऐसा नीतिगत माहौल सुनिश्चित करना जिसमें ऋण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए व्यवहार्य दर पर ऋण प्रसार को सक्षम बनाया जा सके ताकि अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि दर पर फिर वापस आ सके।
- वैश्विक एवं घरेलू स्थितियों पर अनवरत निगरानी रखना और आवश्यकतानुसार नीतिगत समायोजनों के माध्यम से त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करना ताकि प्रतिकूल घटनाओं के असर को कम किया जा सके तथा सकारात्मक घटनाओं के असर को सहारा दिया जा सके।
- वैश्विक वित्तीय संकट से लिए गए सबक को ध्यान में रखते हुए ऐसा मौद्रिक तथा ब्याज दर का माहौल बनाए रखना जो मूल्य स्थिरता तथा वित्तीय स्थिरता में सहायक हो।

मौद्रिक उपाय

- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर में 25 आधार बिन्दुओं तक कमी करते हुए तत्काल प्रभाव से इसे 5.0 प्रतिशत से 4.75 प्रतिशत किया जाए।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में 25 आधार बिन्दुओं तक कमी करते हुए तत्काल प्रभाव से इसे 3.5 प्रतिशत से 3.25 प्रतिशत किया जाए।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.0 प्रतिशत तक रखते हुए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए।
- बैंक दर 6.0 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित रही।
- बाज़ार परिस्थितियों एवं अन्य संबंधित कारकों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन ओवरनाइट रिपो तथा दीर्घावधि रिपो के संचालन का विकल्प अपने पास रखा है। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैक जैसा उचित समझे उसके अनुसार निविदा (निविदाओं) को पूर्णत: या आंशिक रूप से स्वीकार करने या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग करना जारी रखेगा ताकि दैनिक चलनिधि प्रबंधन में चलनिधि समायोजन सुविधा का सक्षमतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

विकासात्मक तथा विनियामक मामले

- बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और ऋण की कीमत पारदर्शी तरीके से निर्धारित करने के लिए सुझाव देने के लिए कार्यदल गठित करना।
- 01 अप्रैल 2010 से दैनिक उत्पाद आधार पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बचत बैंक खातों में ब्याज के भुगतान की गणना करना।
- एफसीसीबी की वापसी खरीद नीति को और उदार बनाना।
- 31 दिसंबर 2009 तक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) हेतु समग्र लागत की उच्चतम सीमा में दी गई रियायतों को विस्तार दिया गया।
- 31 मार्च 2010 तक बैंकों हेतु विशेष पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराना।
- बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त की सीमा में वृद्धि 31 मार्च 2010 तक बढ़ाई गई।
- अस्थिर दर बांडों के निर्गम ढांचे का संशोधन।
- अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों में धारित निधियों की प्रतिभूति के बदले स्वीकृत ऋणों पर 20 लाख रु पए की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रु पए किया गया।
- रुग्ण लघु और मध्यम उद्यमों की पुनर्व्यवस्था के संबंध में बैंकों को दिशा-निर्देश।
- क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों (आरआरबी) के लिए जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) मानदंड चरणबद्ध रूप से लागू करना।
- यह सुनिश्चित करना कि 2012 तक केवल वे ही बैंक सहकारी क्षेत्र में काम करेंगे जिनके पास लाइसेंस होगा।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) को पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना परंतु रिपोर्टिंग करने के अधीन रहते हुए कार्यस्थल से दूर एटीएम स्थापित करने की अनुमति देना।
- केंद्रीय काउंटरपार्टियों के प्रति बैंकों के एक्सपोजर संबंधी पूंजी पर्याप्तता उपाय हेतु मानदंड निर्धारित करना।
- बैंकों द्वारा जारी और खरीदे गए ऋणों को प्रतिभूतिकृत करने के लिए न्यूनतम कालावधि तथा न्यूनतम धारणीय मानदंड निर्धारित करना।
- ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए कारोबार प्रतिनिधि के लिए अधिकतम दूरी मानदंड में 15 कि.मी. से 30 मि.मी. की वृद्धि की गई।
- कुछ समय तक भारत में विदेशी बैंको की उपस्थिति को नियंत्रित कर रही मौजूदा नीति और क्रियाविधि जारी रखी जाए।
- पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सभी श्रेणियों के पूर्वदत्त (प्रीपेड) भुगतान लिखत जारी करने की अनुमति देना।
- पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग संस्थाओं को अर्ध-बंद लिखत जारी करने की अनुमति देना।
- पंजीकरण के संपूर्ण राज्य के ग्रेड I में टियर II शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के परिचालन के क्षेत्र को बढ़ाने की अनुमति देना।
- बड़े आकार तथा प्रणालीगत रू प से महत्वपूर्ण शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में बाज़ार जोखिमों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पूँजी प्रभार लागू करना।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/ चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।